न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 83/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/00110)

निर्णय दिनांकः 24-01-2024

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09—07—2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 09—07—2010 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा स्कीम से बाहर बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील कोलायत के चक 20 बीएसएम मुरब्बा नम्बर 107/08 के किला नम्बर 1 ता 25 में 12 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

10 बिस्वा कमाण्ड व 12 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा करीब 02 वर्ष बाद दिनांक 09–07–2010 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा स्कीम से बाहर बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा रकबा विशेष आवंटन के गजट में वर्ष 2007 से नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है।

ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये। जबकि वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित. किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट् ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 01–04–21 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2010 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 01–01–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील कोलायत में चक 20 बीएसएम मुरब्बा नम्बर 107/08 के किला नम्बर 1 ता 25 में 12 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व 12 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2008 को मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि भूमि राजपत्र में विज्ञाप्ति नहीं होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा दौराने बहस दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अधिसूचना क्रमांक प–5(सी)(18)उपनि/2006/5410 दिनांक 14–12–2007 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके पृष्ठ संख्या 4 में चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 107/8 की भूमि को गजट में प्रकाशित अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त गजट पत्र के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलांट् का आवेदन पत्र खारिज किया गया है।

अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादगत् भूमि के संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जानी अपरिहार्य थी। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये व बिना वादगत् भूमि के बाबत् गजट की स्थिति व अन्य को आवंटित होने की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 24/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर